रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 1973/आश्विन 7, 1895
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 1973/ASVINA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a generalcharacter) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories.)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1973

सा. का. नि. 1052.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस सम्बन्ध में उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (पहला संशोधन) नियम, 1973 है।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 (इसके बाद जिन्हें उक्त नियम कहा गया है) में नियम, 11 के स्थान पर निम्न-लिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"1. सेवा के चयन ग्रेड तथा ग्रेड 1 में भर्ती-(1) किसी भी संवर्ग की चयन ग्रेड या ग्रेड की मौलिक रिक्तियों की मौलिक उस संवर्ग के संगत ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल किए गए व्यक्तियों की मौलिक नियुक्तियां करके भरी जायेंगी, इस प्रकार की नियुक्तियां प्रवर सूची में वरिष्ठता के क्रम में ऐसी परिस्थितियों को छोड़ कर की जाती हैं, जिनके कारण लिखित रूप में देने होते हैं, जब किसी व्यक्ति को उसी बारी पर इस प्रकार की किसी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं समझा जाता।

(2) किसी भी संवर्ग में इस सेवा की चयन ग्रेड की अस्थायी रिक्तियों सेवा के उस ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरी जायेंगी। उसके बाद अगर रिक्तियां बच रहती हैं तो उन्हें सेवा के ग्रेड 1 के उन अधिकारियों की अस्थायी पदोन्नति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर भरा जायेगा जिनकी उस ग्रेड में कम से कम 6 वर्ष अनुमोदित सेवा हो और वरिष्ठता की सीमा (रेंज) में हो परन्तु अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार की गई पदोन्नतियां रिक्तियां भरने के लिए चयन ग्रेड प्रवर सूची में शामिल किए गए व्यक्तियों के उपलब्ध होने पर समाप्त कर दी जायेंगी :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1973

सा. का. नि. 1073.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रम संख्या 14 के सम्मुख कालम 12 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"**पदोन्नति**—

(1) उप निदेशक (लेखा) जिनकी इस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा हो, इसके न होने पर उप निदेशक (लेखा) तथा लेखा निरीक्षक दोनों पदों की मिलाकर 7 वर्ष की सेवा हो ।

(2) आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के प्रशासनिक अधिकारी, जिनकी इस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में 7 वर्ष की सेवा हो ।

स्थानान्तरण पर प्रतिनियुक्ति.—

(1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 के तथा

(2) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के वे अधिकारी जिनकी ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा हो ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।"

[फा सं. 1/10/71-बी (ए)]

ए वी. नारायणन्, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 10th September 1973

G.S.R. 1073.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, against Serial No 14, in Column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"**Promotion**—

(i) Deputy Director (Accounts) with 2 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis, failing which with 7 years service as Deputy Director (Accounts) and Inspector of Accounts combined together

(ii) Administrative Officer in the News Services Division of All India Radio with 7 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

Transfer on deputation. Officers of (i) Central Secretariat Service Grade I (ii) Section Officers' Grade of Central Secretariat Service with 10 years' approved service in the grade. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)"

[F. No. 1/10 71-B(A)]

A V NARAYANAN, Under Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली 19 सितम्बर, 1973

The following translation in Hindi of the Central Hydro Electric Projects (class I and class II posts) Recruitments Rules, 1973, is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (b) of sub-section (1) of Section 5, read with sub-section (3) of Section 3, of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963).

सा. का. नि. 1074.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जलविद्युत परियोजना में वर्ग 1 और वर्ग 2 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जलविद्युत परियोजना (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4 **भर्ती की पद्धति और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5 **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों में किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।